

धारा-107 द0प्र0सं0

सत्र / 2017

माध्यस्थता सं0-

आदेश फलक

वाद संख्या- 321/017

दिलिपकुमार सिंह अग्रवाल

हरिद्वारा

बनाम

राजेश कुमार शर्मा

हरिद्वारा

10/02/2018

न्यायालय-अनुमंडल दण्डाधिकारी, छतरपुर।

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित, अवलोकन किया। उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित। इससे प्रतीत होता है कि इस वाद में उभय पक्ष के बीच कोई विवाद नहीं है। शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त।

अतः इस वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।



सदस्य

सदस्य